

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट।

पत्र संख्या 53/2018

दिनांक 15.03.2018

माननीय अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट के स्वीकृत आदेश दिनांक 15.03.2018 के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में नालसा अनुदान से 49 इंच की एक अदद एलईडी/मानीटर जो एल0जी0, सोनी, समसंग, पैनासोनीक कम्पनी की कय किये जाने हेतु कोटेशन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक संस्था/फर्म, जरिये ई-मेल/डाक अथवा स्वयं दिनांक 23.03.2018 तक सायं 4.00 बजे तक कार्यालय में उपलब्ध करा सकते है, जिसका ई-मेल आई0डी0 dcchi@allahabadhigh court.in है। कोटेशन स्वीकार होने पर उक्त एलईडी/मानीटर स्वयं के खर्च पर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय तक पहुँचाना होगा। माननीय अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश को किसी भी कोटेशन को बिना आपत्ति के रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। कोटेशन दिनांक 23.03.2018 को सायं 4.00 बजे खोले जायेंगे। समय अवधि के उपरान्त किसी भी कोटेशन पर विचार नही किया जायेगा।

**प्रतिलिपि-**

1. सदर नाजिर कलेक्ट्रेट को नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु प्रेषित।
2. अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड-1, कर्वी चित्रकूट को नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु प्रेषित।
3. तहसीलदार कर्वी को नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु प्रेषित।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कर्वी को नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु प्रेषित।
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, चित्रकूट को नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु प्रेषित।
6. जिला सूचना अधिकारी चित्रकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर को माननीय उच्च न्यायलय इलाहाबाद के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

9. नोटिस अधिवाषी कम्प्यूटर कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड हेतु

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
चित्रकूट।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
चित्रकूट